न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी
	[illegible] 9 R 13 CPC [illegible] 26/2018	
03.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पत्रावली दिनांक 29.01.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
29.01.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पत्रावली दिनांक 17.02.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
17.02.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर [illegible] है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद [illegible] दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2025.08.27 12:47:21 IST Reason: SelfAttested (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
96/2018	2018/0251	16.08.2018	17.02.2025

उनवान

1. कानाराम पुत्र जगदीश जाति यादव निवासी ढाणी कुलडा की तन ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासी नीमकाथाना राजस्थान

––प्रार्थी

बनाम्

1. छीतर पुत्र गौरूराम जाति यादव निवासी अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

हाल जिला नीमकाथाना राजस्थान(मृत्तक के स्थान पर)

1/1 सुरेश कुमार पुत्र स्व0 छीतर

1/2 सन्तोष देवी पुत्री स्व0 छीतर

1/3 मंजू देवी पुत्री स्व0 छीतर

1/4 मन्नी देवी पत्नी स्व0 छीतर

जाति यादव निवासी ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाज जिला नीमकाथाना।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित–

श्री सुरेश कुमार लाम्बा एड0, प्रार्थीगण अभिभाषक।

श्री कमल कुमार शर्मा एड0, अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी सं0 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत निरस्त किये जाने एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 बमुकदमा दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी छीतर बनाम् कानाराम वगै0 मुकदमा संख्या 18/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित28.05.2018 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा उनवानी प्रकरण छीतर बनाम् कानाराम वगै0 मुकदमा संख्या 18/2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2314 रकबा 0.10 हैक्टर तन ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की बावत दिनांक 21.03.2018 को अप्रार्थी संख्या–1 ने दावा बावत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी छीतर बनाम कानाराम वगैरह मुकदमा नम्बर 18/2018 गलत व मिथ्या तथ्योयुक्त प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन/नोटिस की जाकर तारीख पेशी 09.04.2018 नियत की गयी तथा इसके बाद पत्रावली को तारीख पेशी 23.04.2018 पर ली जाकर तारीख पेशी 23.05.2018 नियत की गयी तथा इसके बाद अप्रार्थी संख्या–1 के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी बाबत प्रस्तुत करने पर पत्रावली को तारीख पेशी दिनांक 28.05.2018 को ली गयी तथा उक्त दावा हाजा में अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थी ने विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही बिना कोई सम्यक तामील करवाये ही एक पक्षीय साक्ष्य स्वयं अप्रार्थी संख्या–1 एवं अपने षडयन्त्रकारी व्यक्ति गवाह छीतर पुत्र घीसाराम यादव की करवाकर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 [illegible] को सफलता देकर पारित करवायी गयी है। प्रार्थी का मकान [illegible] दक्षिण झांकता कोई मकान नहीं है, परन्तु तामील कुनिन्दा [illegible] फर्जी रिपोर्ट दक्षिण झांकता मकान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पर चस्पानगी की बात की गयी है. जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी के पास कोई तामील कुनिन्दा दावा हाजा का सम्मन लेकर नही गया तथा ना ही कोई चस्पानगी की गयी। इसलिए इन्कार किये जाने एवं चस्पानगी किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है परन्तु अप्रार्थी संख्या–1 ने तामील कुनिन्दा से साज करके दावा के सम्मन पर चस्पानगी व इन्कारी की गलत व फर्जी रिपोर्ट तहसील कार्यालय श्रीमाधोपुर मे ही करवाकर तहसील परिसर श्रीमाधोपुर में बैठने वाले व्यक्ति अर्जी नविश नन्दाराम वर्मा पुत्र नोला बलाई निवासी अरनियां व अपने षडयन्त्रकारी व्यक्ति सीताराम पुत्र धीसाराम यादव निवासी अरनियां के हस्ताक्षर बतौर गवाह करवाकर प्रार्थी के विरूद्ध उक्त फर्जी तामिल रिपोर्ट के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही न्यायालय को मुगालता देकर पारित करवाकर दावा हाजा में प्रार्थी की बिना कोई सम्यक तामिल हुये ही न्यायालय को मुगालता देकर बाला बाला गलत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही पारित करवाकर प्रार्थी को बिना कोई सुनवाई व जवाब देही का अवसर दिये न्यायालय को मुगालता देकर दिनांक 25.08.2018 को एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवायी है। प्रार्थी अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2314 रकबा 0.10 हैक्टर के 1/2 भाग की भूमि पर मौके पर मुण्डरू से अरनियां जाने वाले सड़क के सटाकर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा हैं। इसी बदनियति के चलते अप्रार्थी संख्या 1 ने दावा गलत व झूंठे तथ्य अंकित करके प्रस्तुत किया एवं दावा हाजा में कोई प्राथमिक डिक्री जारी करवाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से कोई विभाजन प्रस्ताव नही मंगवाया गया। कृषि भूमि खसरा नम्बर 2314 रकबा 0.10 हैक्टर तन ग्राम अरनियां में प्रार्थी 1/2 हिस्सा का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थी ने उक्त 1/2 हिस्सा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 24.05.2017 को भूमि के खातेदार काश्तकार श्यामाराम पुत्र गौरूराम जाति अहीर निवासी पाटयावाली तन ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर से खरीद कर मौके पर उक्त भूमि में 1/2 भाग का कब्जा मुण्डरू से अरनियां जाने वाली सड़क के सटाकर प्राप्त कर अपनी भूमि पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 को अपास्त फरमाया जाकर प्रकरण हाजा को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थी को समुचित सुनवाई व जवाब देही व साक्ष्य का अवसर दिया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:21 IST
Reason: SelfAttested

विधि सम्मत तरीके से गुणावगुण के आधार पर वादपत्र का निस्तारण किया जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया गया हैं।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नम्बर 1 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 की तामील असालतन होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी नम्बर 1 के फौत होने पर उनके वारिसान् को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत कायम मुकामान प्रार्थना पत्र पर वकील अप्रार्थीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र कायम मुकामान स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान् को रिकार्ड पर अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/4 लिया जाकर इनकी ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का पेश किया। प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मय 151 सीपीसी का पेश कर दिये जाने पर वकील प्रार्थी ने बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2314 रकबा 0.10 हैक्टर में हिस्सा 1/2 के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थी ने उक्त भूमि के 1/2 हिस्सा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 24.05.2017 को भूमि के खातेदार काश्तकार श्यामाराम पुत्र गौरूराम जाति अहीर निवासी पाटयावाली तन ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर से खरीद कर मौके पर उक्त भूमि में 1/2 भाग [illegible] से अरनियां जाने वाली सड़क के सटाकर प्राप्त कर [illegible] काबिज काश्त चला आ रहा हैं। जिस पर प्रार्थी का मकान पूर्व झांकता [illegible] की दक्षिण झांकता कोई मकान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नही होने के बावजूद तामील कुनिन्दा ने दावा के सम्मन पर फर्जी रिपोर्ट दक्षिण झांकता मकान पर चस्पानगी किये जाना अंकित किया है। जबकि वास्तविक रूप से प्रार्थी के पास कोई तामील कुनिन्दा दावा हाजा का सम्मन लेकर नही जाने तथा ना ही कोई चस्पानगी किये जाने बाबत अवगत कराया। अप्रार्थी संख्या–1 ने तामील कुनिन्दा से साज करके दावा के सम्मन पर चस्पानगी व इन्कारी की गलत व फर्जी रिपोर्ट तहसील कार्यालय श्रीमाधोपुर में ही करवाकर तहसील परिसर श्रीमाधोपुर में बैठने वाले व्यक्ति अर्जी नवीश नन्दाराम वर्मा पुत्र नोला बलाई निवासी अरनियां व अपने षडयन्त्रकारी व्यक्ति सीताराम पुत्र घीसाराम यादव निवासी अरनियां के हस्ताक्षर बतौर गवाह करवाकर प्रार्थी के विरूद्ध उक्त फर्जी तामिल रिपोर्ट के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही करवाते हुए न्यायालय को मुगालता देकर बाला–बाला गलत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही पारित करवाकर प्रार्थी को बिना सुनवाई व जवाब देही का अवसर दिये न्यायालय से दिनांक 25.08.2018 को करवाई गई एक पक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाई जाकर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थी को समुचित सुनवाई व जवाब देही व साक्ष्य का अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से गुणावगुण के आधार पर वादपत्र का निस्तारण किया जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में किया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया है कि तामील कुनिन्दा प्रार्थी के घर जाने के उपरान्त तामील सही रूप से करवायी गयी है। तहसील कार्यालय में तामील कराये जाने का कथन कतई गलत व बेईमानी की नियत से दर्ज किया हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं हैं। न्यायालय द्वारा जारी तामील सम्यक मानकर प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के उपरान्त साक्ष्य प्रस्तुत होने के उपरान्त न्यायालय हाजा द्वारा बंटवारा की डिक्री पारित की गयी है व डिक्री के आधार पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया हैं। प्रार्थी को उक्त डिक्री को अपास्त कराये जाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा विक्रय लेख पंजीबद्ध कराने के उपरान्त भूमि खसरा नम्बर 2314 रकबा 0.10 हैक्ट[illegible] अरनियां का आज दिनांक तक मौके पर काश्त नही कि[illegible] उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा ही शुरू से काश्त [illegible] जा रहा हैं। प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

बैचानकर्ता/उत्तरदाता का सगा भाई श्यामाराम का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध न्यायालय हाजा द्वारा जारी सम्मन विधि अनुसार तामील होने के उपरान्त प्रार्थी/प्रतिवादी न्यायालय हाजा द्वारा नियत तारीख को उपस्थित नही आने पर न्यायालय द्वारा तामील को सम्यक मानने के उपरान्त एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी हैं। उक्त कार्यवाही विधि अनुसार सिविल प्रकिया सहिता ओदश 5 नियम 17 सीपीसी के तहत न्यायालय हाजा द्वारा विधि का पालन कर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई हैं। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रार्थी को शुरू से होने से उक्त निर्णय व डिक्री का प्रार्थनापत्र आर्डर 9 नियम 13 सीपीसी जो मियाद बाहर पेश किया गया है। उसे केवल मात्र मिथ्या रूपेण मियाद में लेने हेतु बराय कानूनी दर्ज करायी गयी हैं। जो वास्तविकता से काफी दूर होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम कतई पोषणीय नही होने से गलत हैं। जवाब प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नही होने से सव्यय खारिज किये अपनी बहस में किया है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 24.05.2017, दावा संख्या 96/2018 उनवानी प्रकरण कानाराम बनाम् छीतर वगै0 की समस्त आदेशिका, मूल वादपत्र, निर्णय व डिक्री दिनांकित 28.05.2018, प्रतिवादीगण को जारी सम्मन तामीलात इत्यादि का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी से सम्बन्धित मूल वाद पत्र में प्रतिवादीगण की तामीलों में प्रतिवादी संख्या 1 की तामील साधारण तरीके से भिजवाई जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 की इन्कारी के मय गवाहान् के सामने दक्षिण झांकते मकान पर चस्पा करवाई जाकर दो गवाहान् के हस्ताक्षर से होकर लौटी है तथा सम्मन पर गवाह नन्दाराम वर्मा पुत्र नोला बलाई निवासी अरणियां व दूसरे व्यक्ति सीताराम पुत्र घीसाराम यादव निवासी अरणियां के हस्ताक्षर बतौर गवाह सम्मन के पुष्ठ पर अंकित किया जाना तथा प्रतिवादी संख्या 2 की तामील असालतन होना प्रकट होती है। तामीलों के विधिवत तामीली के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:21 IST
Reason: SelfAttested

बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण की तामील पर्याप्त मानते हुए उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आधार पर वादपत्र में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किया जाना प्रकट होता है। उक्त सम्मन तामीली के सम्बन्ध में वकील प्रार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि प्रतिवादी/प्रार्थी के पास दावा हाजा का सम्मन कोई तामिल कुनिन्दा लेकर घर पर नहीं गया तथा ना ही कोई चस्पान्दगी की कार्यवाही ही की गई है। जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी के पास न्यायालय द्वारा तहसील कार्यालय के माध्यम से सम्मन तामील भिजवाई गई है तथा तामील कुनिन्दा कर्मचारी के द्वारा सम्बन्धित प्राप्तकर्त्ता को सम्मन की मूल प्रति दी जाती है। जो सम्बन्धित प्राप्तकर्त्ता के द्वारा इन्कार किये जाने पर इन्कारी का नोट अंकित करते हुए मूल सम्मन की चस्पान्दगी की कार्यवाही दो गवाहान् के समक्ष की जाती है। जिसमें दोनों गवाहान् प्रतिवादी के गांव के व्यक्ति होकर अलग-अलग समाजों के व्यक्ति है। वकील प्रार्थी कहीं भी यह सिद्ध नही कर पाये है कि तामील कुनिन्दा ने सम्मन तामील किस तरह से तहसील कार्यालय में ही करवाई गई है।

सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में वर्णित अनुसार प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय डिकी को अपास्त करना—*किसी ऐसे मामले में जिसमें डिकी किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिकी पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहाँ तक डिकी उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा;*

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित की गई एक पक्षीय डिक्री में प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई सम्मन तामीलात पर एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य रूप से तामीलों का अवलोकन कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लघंन होने या नहीं होने व प्रतिवादीगण को विधिक प्रकिया व प्रावधानों के तहत तामील हुई है या नहीं इस सम्बन्ध में परीक्षण किया जाना है। जिसके लिए सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 5 नियम 17, 18, 19 में स्पष्ट प्रावधान किये गये है। सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 5 नियम 17, 18, 19 की पालना की गई है या नहीं इस आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी में अन्तिम निर्णय पारित किया जाना होता है।

हस्तगत प्रकरण में तामीलात का अवलोकन करने पर

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण को विधिक प्रकिया व प्रावधानों के तहत तामील करवाया जाना प्रकट होता है। तामील कुनिन्दा द्वारा प्रतिवादी के घर पर जाकर उसके दक्षिण झांकते खुले मकान पर मूल सम्मन को चस्पा किया जाना तथा तामील के पृष्ठांकन पर तामील कुनिन्दा का नाम व दो गवाहान् के हस्ताक्षर किया जाना प्रकट होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तामील कुनिन्दा जो कि एक सरकारी कार्मिक होता है के द्वारा समुचित व वैधानिक तरीके से तामील करायी जाना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:21 IST
Reason: SelfAttested